



राँची विश्वविद्यालय, राँची

अधिसूचना

स्नातक प्रथम भाग सत्र 2014–2017 के नामांकित छात्र कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों का पंजीयन आवेदन पत्र राँची विश्वविद्यालय के अन्तर्गत सभी महाविद्यालयों के माध्यम से विश्वविद्यालय कार्यालय में दिनांक 20.12.2014 तक बिना विलम्ब शुल्क एवं विलम्ब शुल्क 200/- रु० के साथ दिनांक 10.01.2015 तक जमा किया जा सकता है। राँची विश्वविद्यालय के अन्तर्गत सभी महाविद्यालयों (स्वायत्तता प्राप्त महाविद्यालय सहित) को निर्देश दिया जाता है कि व्यावसायिक (Vocational) पाठ्यक्रम का पंजीयन आवेदन प्रपत्र अलग से निर्धारित राशि के साथ जमा करेंगे। आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्नक आवश्यक है –

1. इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अंकपत्र की छायाप्रति,
2. इण्टरमीडिएट प्रवेश पत्र की छायाप्रति,
3. इण्टरमीडिएट का मूल प्रवजन प्रमाण पत्र,
4. विद्यार्थियों का सूची एवं C.D.,
5. संबद्ध महाविद्यालयों के लिए संबंद्धन पत्र,
6. स्वायत्त महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की सूची एवं C.D., प्राचार्य का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है,
7. व्यावसायिक पाठ्यक्रम का स्वीकृत सीट से संबंधित कागजात।

कुलपति के आदेशानुसार^{हो/-}
कुलसचिव
राँची विश्वविद्यालय, राँची

ज्ञापांक १८/१२२६५/२०१५

दिनांक १७/११/२०१५

नोट:— स्वायत्त महाविद्यालयों का स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों का विश्वविद्यालय से पंजीयन कराना अनिवार्य है।

प्रतिलिपि:—

1. सभी प्राचार्य, स्वायत्तता प्राप्त, अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालय, राँची विश्वविद्यालय, राँची,
2. निदेशक, कम्प्यूटर सेन्टर, राँची विश्वविद्यालय, राँची,
3. परीक्षा संचालक, राँची विश्वविद्यालय, राँची,
4. वित्त पदाधिकारी, राँची विश्वविद्यालय, राँची,
5. संयोजक, सी०भी०एस०, राँची विश्वविद्यालय, राँची,
6. संयोजक, ई०सी०भी०सी०, राँची विश्वविद्यालय, राँची,
7. प्रभारी, ई०डी०पी०सी०, राँची विश्वविद्यालय, राँची
8. कुलपति / प्रतिकुलपति / वित्त परामर्शी एवं कुलसचिव के निजी सहायक को सूचनार्थ,
9. सम्पादकीय : आज, हिन्दुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, राँची एक्सप्रेस, सन्मार्ग, राँची को निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

14.11.15
कुलसचिव

राँची विश्वविद्यालय, राँची